# राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

# कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार हेतु दिशानिर्देश

# (EST&P)

सत्यमेव जयते

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

# विषय–सूची


| क्रम संख्या | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| १ | परिचय एवं उद्देश्य | ३ |
| २ | कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल | ४–६ |
| ३ | लागत मानक | ६ |
| ४ | प्रमाणीकरण | ६–८ |
| ५ | कौशल प्रशिक्षण प्रदाता | ८–१० |
| ६ | प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) और रिपोर्टिंग | १०–११ |
| ७ | अभ्यर्थी और प्रशिक्षण | ११–१४ |

# कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार हेतु दिशानिर्देश

'उन्नत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, बढ़ती युवा जनसंख्या को समुचित रोजगार अवसर उपलब्ध कराने और उच्च विकास दर को बनाये रखने हेतु अति आवश्यक है।'

–१२वी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र – बिन्दु १०.१४

## १– परिचय एवं उद्देश्यः–

मार्च २००६ में जारी की गई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अनुसार सन् २०२२ तक कुशल कार्यबल/श्रम की मांग लगभग ५० मिलियन/५०० लाख होगी। बढ़ते शहरीकरण की वजह से, १२वी पंचवर्षीय योजना के दौरान ५० मिलियन गैर कृषिक रोजगार अवसरों का निर्माण होगा और लगभग इतनी ही संख्या में लोगों को प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(NULM) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, के तहत **'कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार'** (EST&P) घटक का निर्माण अकुशल शहरी गरीबों को कौशल उपलब्ध कराने हेतु और साथ ही साथ उनकी वर्तमान तकनीक को उन्नत करने के लिए ही किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा ताकि उन्हें अपने स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने और निजी क्षेत्र में वैतनिक नौकरियां हासिल करने योग्य बनाया जा सके। EST&P कार्यक्रम का लक्ष्य बाजारोन्नमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय कौशल की मांग एवं उपलब्धता के बीच की खाई पाटना है।

**उद्देश्यः–** कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

- ❖ शहरी गरीबों को स्थायी आजीविका हेतु एक निधि के रूप में कौशल प्रदान करना।
- ❖ वैतनिक रोजगार/स्वरोजगार अवसरों की उपलब्धा कराने वाले एक व्यवस्थित बाजारोन्नमुख प्राथमिक पाठ्यक्रम/कोर्स के माध्यम से शहरी गरीबों की आय को बढ़ाना जो स्वतः धीरे–धीरे उनके जीवन स्तर को बढ़ाकर शहरी गरीबी का स्थायी उपशमन करेगा।
- ❖ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकास के साथ–साथ कुशल शहरी गरीबों के योगदान की संयुक्त सुनिश्चितता।

**२– कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूलः–** उपर्युक्त लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्योगों की मांगानुसार और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पाठ्यकम्रानुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कौशल हेतु औद्योगिक मांग का आंकन/निर्धारण केवल नगर स्तर पर, कौशल–शून्यता के विशिष्ट विश्लेषण द्वारा ही किया जा सकता है। कौशल–शून्यता विश्लेषण द्वारा उद्योगानुसार प्रशिक्षित कार्यबल की मांग, आवश्यक कौशल की प्रकृति तथा पारिश्रमिक रोजगारों और स्व–रोजगारों दोनों हेतु EST&P के लिए चुने जाने वाले व्यवसायों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ पायेगी। **कौशल–शून्यता विश्लेषण** (SGA) ये भी बतायेगा कि प्रत्येक व्यवसाय हेतु पाठ्यक्रम की प्रकृति और अवधि क्या होनी चाहिए।

इस प्रकार के  किसी भी अध्ययन का प्रक्षेपण/अनुमान ५ वर्षीय अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल–शून्यता विश्लेषण कराने हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन संदर्भित करेंगे। राज्य शहरी आजीविका मिशन कौशल–शून्यता विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास समिति की सेक्टर कौशल समिति की, तकनीकी विश्वविद्याालयों की, राज्य के श्रम और नियोजन विभाग की, राज्य उद्यम विभाग, राज्य पोषित अनुसंधान संस्थानों, राज्य औद्योगिक संघ या किसी अन्य सक्षम एजेंसी की मदद ले सकेंगे।

कौशल–शून्यता विश्लेषण नये उभरते उद्योगों में रोजगार की मांग प्रदर्शित करेगा, और स्थानीय क्षेत्र में स्व–उद्यम स्थापित कर सकने के अवसरों की पहचान भी करेगा। कौशल प्रशिक्षण, स्थानीय क्षेत्र की सबसे अधिक वाली मांग को ध्यान में रखकर प्रदान किया जायेगा तथापि ऐसे पाठ्यक्रम जो कौशल शून्यता विश्लेषण के अर्न्तगत चिन्हित न किये गये हों किन्तु अभ्यर्थी ऐसे अन्य क्षेत्रों के कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्थानांतरित होने के इच्छुक हों तो ऐसे पाठ्यक्रम भी चलाये जा सकेंगे।

**२.२– पाठ्यक्रम निर्धारणः–** कौशल–शून्यता विश्लेषण (SGA) द्वारा चिन्हित कौशल वर्गों का एक औपचारिक मानक पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसकी रूप रेखा उद्योगो की मांग, मूल्यांकन की आवश्यकता और प्रमाणीकरण की जरूरत के अनुरूप होनी चाहिए।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अर्न्तगत सेक्टर कौशल समितियों द्वारा **राष्ट्रीय उपजीवकीय मानकों** (NOS) का विकास किया जा चुका है। (NOS) ने कार्यक्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक रूप से प्राप्त की जानी वाली क्षमता के मानकों का विशिष्टीकरण  किया है। एन.ओ.एस का निर्धारण नियोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत सेक्टर कौशल समिति के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय उपजीवकीय मानकों (NOS) और चिह्नित कार्य भूमिकाएं, राष्ट्रीय कौशल नीति में वर्णित **राष्ट्रीय वोकेशनल/व्यावसायिक शिक्षा योग्यता रूपरेखा** (NVQEF) के अर्न्तगत व्यावसायिक

मानकों के अनुरूप हैं। राज्य शहरी आजीविका मिशन अपने पाठ्यक्रमों को तय करते समय NOS और NVQEF की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कौशल विकास योजना के अर्न्तगत आदर्श नियोजनीय कौशलों के पाठ्यक्रमों की एक सूची के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की गयी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अनुमोदित इस पाठ्यक्रम का अनुसरण कौशल-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु किया जाना चाहिए। यदि एमईएस कोर्सों में कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं है तो वो राज्य इनके लिए एक औपचारिक पाठ्यक्रम को मान्यता दे सकेंगे।

EST&P के अर्न्तगत किसी भी प्रशिक्षण कोर्स के मानक पाठ्यक्रम का निर्धारण किसी सक्षम एजेंसी के परामर्श से किया जाना चाहिए, जैसे कि तकनीकी विश्वविद्यालय/कालेज, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सेक्टर कौशल समिति आदि। पाठ्यक्रम-रूपरेखा के निर्धारण का कार्य केवल कौशल प्रशिक्षण प्रदाता पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए अपितु समस्त कोर्सों को राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा उपर्युक्त वर्णित एजेंसियों की सलाहानुसार अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं हेतु मानकीकरण एवं रोजगार अवसरों की सुनिश्चितता तय की जा सके। प्रशिक्षण कोर्सों के प्रारूप/मॉड्यूल को स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप और राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर स्वीकार्य होना चाहिए। कोर्स के पाठ्यक्रम की रूपरेखा औद्योगिक मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए।

**२.३- व्यावहारिक कौशलः-** विशिष्ट कौशलों पर बुनियादी कौशल प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रशिक्षण कोर्सों के माड्यूल/प्रारूप में निम्नलिखित माड्यूलों को भी पाठ्यक्रम के साथ समेकित किया जाना चाहिए-

**अ- व्यावहारिक कौशल**- संप्रेषण कौशल (इंगलिश और स्थानीय भाषा में) बुनियादी कम्पयूटर संचालन (कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स के अतिरिक्त अन्य कोर्स हेतु) वृत्तिक शिष्टाचार आदि।

**ब- वित्तीय साक्षरता**- बचत, साख/ऋण, अनुदान/सब्सिडी, विप्रेषण, बीमा तथा पेंशन संबंधी अनुस्थापना और जागरूकता।

**स- अन्य सरकारी योजनाएं**- प्रशिक्षुओं को अन्य सरकारी योजनाओं और गरीबी उपशमन के अधिकारों के बारे में भी सूचनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। NULM के अन्य घटको सहित स्थानीय नगर निकाय इन योजनओं एवं अधिकारों तक शहरी गरीबों की पहुँच को सुलभ बनायेंगे।

उपर्युक्त तत्व प्रशिक्षुओं को दीर्घ अवधि तक स्थायी तौर पर सहायता प्रदान करेंगे।

**२.४–कोर्स/पाठ्यक्रम की अवधिः–** EST&P के अर्न्तगत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के समस्त कोर्सों/पाठ्यक्रमों की अवधि न्यूनतम ३ माह होगी। (लगभग ४०० घंटे तकनीकी प्रशिक्षण व ३० घंटों का अतिरिक्त व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण) यदि एम.ई.एस पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जा रहा हो तो बुनियादी और उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण कोर्सों को जोड़कर कम से कम ४०० घंटे का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा तथापि ऐसे संयुक्त कोर्सों हेतु एकल प्रमाण पत्र ही जारी किया जाना चाहिए

**३– लागत मानकः–** EST&P के अर्न्तगत प्रति प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु अधिकतम १५०००/ रूपये तक की लागत सहायता उपलब्ध करायी जायेगी,(उ०पू० राज्यों तथा जम्मू कश्मीर राज्य हेतु १८००० रूपये) प्रशिक्षण लागत में, प्रशिक्षु प्रोत्साहन, पाठ्यक्रम संरचना, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपादान, मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण नियोजन, सम्पर्क सूत्रों, प्रबंधन सूचना तंत्र और नियोजन पश्चात प्रशिक्षु मार्गन शामिल है। अवास्थापना विकास हेतु इस घटक के तहत किसी प्रकार की लागत सहायता नहीं उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण लागत कोर्सों के पाठ्यक्रम, कोर्स के लिए आवश्यक अवस्थापना और सामग्री व कोर्स अवधि आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न होगी। राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) ये सुनिश्चित करेंगे कि कोर्सों की प्रशिक्षण लागत सक्षम तकनीकी एजेंसीयों के परामर्श पर बाजार की परिस्थियों के अनुरूप तय की जाये। राज्य शहरी आजीविका मिशन(SULM) प्रशिक्षण लागत का वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण करेंगे।

उपर्युक्त वर्णित राशि SULM के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता राशि है। इसके बावजूद यदि प्रशिक्षण लागत इससे अधिक हो तो अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा अथवा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा वहन की जायेगी।

**४– प्रमाणीकरणः–** प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को जिसने एन.यू.एल.एम. के घटक EST&P के अर्न्तगत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उसे औद्योगिक वर्ग द्वारा स्वीकार्य सक्षम एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। प्राप्त कौशल का मूल्यांकन एक स्वतंत्र प्रमाणीकरण एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा। प्रशिक्षण एजेंसी को प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण से खुद पृथक रखना चाहिए ताकि निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके।

प्रमाणीकरण एजेंसी/संस्था का चयन राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) द्वारा उनकी गुणवत्ता, निष्पक्षता और पूर्व-रिकार्ड के आधार पर किया जाना चाहिए। सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी एजेंसियों/संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद आदि को क्रमानुसार ही प्रमाणीकरण प्रक्रिया में प्राथमिकता दी

जानी चाहिये। राज्य, अभ्यर्थीयों के मूल्यांकन हेतु सेक्टर कौशल परिषदों, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) तकनीकी विश्व विद्यालयों, राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संघों यथा (ASSOCHAM, NASSCOM) आदि संस्थाओं को, उनके द्वारा इस कार्य को किये जा सकने की सक्षमतानुसार नियुक्ति किया जा सकता है।

राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) प्रमाणीकरण एजेंसियों के साथ एक सहमति पत्र निस्पादित करेंगे जिसमें ये स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा कि कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमाणित किये जाने हैं, परिचालन क्षेत्र क्या होगा, प्रशिक्षण दिये जाने के मानक, समय सीमा एवं प्रक्रिया क्या होगी, और एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली फीस क्या होगी। SULM द्वारा प्रमाणीकरण की फीस का निर्धारण पाठ्यक्रम तथा सक्षम तकनीकी एजेंसियों के परामर्श के आधार पर किया जाना चाहिए। फीस सीधे प्रमाणीरण एजेंसी को दी जायेगी और इसे प्रशिक्षण शुल्क का ही एक भाग समझा जायेगा।

ऐसा ही कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए जारी किये गये निर्देश–अनुबंध की शर्तों (TOR) में उल्लिखित किया जाना चाहिए। TOR में सफल अभ्यर्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता, नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसियों के माध्यम से प्रमाणपत्रों को जारी एवं वितरित किये जाने की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्थानीय नगर निकाय/राज्य शहरी आजीविका मिशन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/जिला स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रमाणपत्रों को बैंको से उद्यम से ऋण लेने हेतु वैध दस्तावेज माना जाये।

जैसे ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण को पूरा कर लिया जायेगा और वे मूल्यांकन हेतु तैयार होंगे, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता(STP) संबंधित प्रमाणीकरण एजेंसी को सूचित करेंगे और ये बतायेंगे कि कितने अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाना है तथा प्रशिक्षण केन्द भौगोलिक रूप से कहाँ अवस्थित है। प्रमाणीकरण एजेंसियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदाता से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात ३० दिनों के अन्दर मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा किया जाना सुनिश्चित करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी मूल्यांकन में असफल होता है तो उसे मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु पुनः प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे असफल अभ्यर्थियों के पुनः प्रशिक्षण की लागत कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को वहन करनी होगी। राज्य शहरी गरीबी आजीविका मिशन केवल सफल एवं प्रमाणित अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण लागत कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को वापस करेंगे।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास प्रोत्साहन योजना (SDI) के अर्न्तगत मूल्यांकन निकायों को चिन्हित किया है। (इनकी सूची एवं सम्पर्क विवरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के आधार पर राष्ट्रीय व्यावसयिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) द्वारा इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किये जायेंगे। स्थानीय नगर निकाय/राज्य शहरी आजीविका मिशन कौशल विकास प्रोत्साहन योजना के तहत लागू मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनी सामुदायिक कालेज योजना के अर्न्तगत सफल अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता रूपरेखा के अनुसार प्रमाण पत्र प्रदान कर किये जा रहे हैं। राज्य शहरी आजीविका मिशन भी ऐसी ही राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाण पत्रों को प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं।

## ५. कौशल प्रशिक्षण प्रदाताः–

**५.१– अभिनिर्धारणः–** राज्य शहरी आजीविका मिशन बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की नियुक्ति कर सकते हैं। इनका चयन संगठन की तकनीकी योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण लागत के संयुक्त मानदण्डों के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्य शहरी आजीविका मिशन को कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का सख्त तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता से काई समझौता नहीं किया जायेगा।

राज्य शहरी आजीविका मिशन सीधे भी सरकारी संस्थानों जैसे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI), पालीटेक्निक कालेजों, तकनीकी विश्वविद्याालयों आदि के साथ समझौता कर सकेंगे। जिसमें प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, बैंक–सूत्रों, अनिवार्य नियोजन/स्वरोजगार स्थापना और सफल अभ्यर्थियों की निगरानी आदि के तौर तरीकों का विस्तृत उल्लेख होगा।

राज्य शहरी आजीविका मिशन भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी भी अन्य सफल कौशल प्रशिक्षण योजना के मॉडल/आदर्श को अपना सकते हैं। राज्य शहरी आजीविका मिशन औद्योगिक घरानों/ औद्योगिक संघों के माध्यम से भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करा सकते हैं जो प्रशिक्षित लाभार्थियों को आन्तरिक नियोजन उपलब्ध करा सकता है।

कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का मनोनयन उनके संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर ३ वर्षों तक वैद्य होगा।

समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रमाणीकरण एक स्वतंत्र वाह्य संस्था द्वारा किया जाना चाहिए न कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा। राज्य शहरी आजीविका मिशन निर्देश–अनुबंध की शर्तों (TOR) के प्रारूप/मसौदे को तैयार करने तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के आगणन, मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु वाह्य पेशेवर एजेंसियों, विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों आदि की सेवाएं भाड़े पर ले सकते हैं। ये खर्चे NULM के तहत प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों (A&O) में शामिल कर लिए जायेंगे।

**५.२– कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रणः–** राज्य शहरी आजीविका मिशन सरकारी कौशल प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ परामर्श करके और राज्य कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के मनोनयन हेतु बोली प्रक्रिया अपनायेंगे। कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रण में निम्नलिखित खण्डों का आवश्यक रूप से विवरण होना चहिए–

१– तकनीकी मूल्यांकन के मानक और पद्धति।
२– प्रस्ताव निवेदन और मनोनयन की कालावधि।
३– निष्पादन गारण्टी की राशि/मात्रा।
४– प्रशिक्षुओं की अनुमानित संख्या, अवस्थिति, और पाठ्यक्रम विवरण।
५– प्रमाणित एजेंसियो की सूची, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया एवं लागत का विस्तृत विवरण।
६– न्यूनतम ५० प्रतिशत सफल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन अथवा स्व उद्यम स्थापना हेतु सहायता के साथ–साथ प्रशिक्षण पश्चात सहयोग की शर्तें।
७– अन्य प्रदेय सुविधाएं जैसे कि सूचना प्रारूप, प्रतिवेदन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षुओं के ऑकड़ा कोष/डाटाबेस का अनुरक्षण आदि।
८– भुगतान के नियम व शर्तें, इस शर्त सहित कि अन्तिम किश्त केवल तभी जारी की जायेगी जबकि सफलतापूर्वक नियोजन किया जा चुका होगा अथवा सफल प्रशिक्षण पश्चात उद्यम विकास तथा निगरानी के १२ माह व्यतीत हो चुके होंगे।
९– संविदा की शर्ते और सेवाओं के प्रति अभिष्ठ हेतु शास्ति।
१०– अनुबंध समाप्ति की प्रक्रिया।

**५.३– प्रशिक्षण पश्चात सहायताः–** कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को सभी सफल अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा स्व–उद्यम स्थापित करवाने की दिशा में कार्य करना होगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह न्यूनतम ५० प्रतिशत सफल अभ्यर्थियों को नियोजित करवाये अथवा स्व–उद्यम स्थापना में सहायता प्रदान करे, ऐसा करने में अक्षम होने पर उन्हें अनुबंध की शर्तों के अनुसार शास्ति का पात्र होना होगा।

**रोजगार नियोजनः–** सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों को तीन माह के अन्दर ही उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

**लघु उद्यमः–** सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के ३ माहके भीतर ही कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को जो स्व–उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, आवश्यक सहायता प्रदान की जायेंगी। कौशल प्रदाता अभ्यर्थियों को प्रस्ताव तैयार करने में, बैंक ऋण सुनिश्चित करने में और लघु उद्यम विकास से संबंधित किसी भी योजना के तहत दिये जा रहे अनुदान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे NULM के तहत स्व–रोजगार कार्यक्रम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी योजना (PMEGP) और कलस्टर विकास योजना, अथवा ऐसे कोई भी अन्य योजना आदि।

**५.४:– प्रशिक्षण पश्चात निगरानीः–** कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के लिए आवश्यक होगा कि वह सफल अभ्यर्थियों की १२ माह तक निगरानी रखे। प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के विवरण जैसे की नियुक्ति पत्र, समग्र वेतन आदि का अनुरक्षण किया जाना चाहिए जिसे किसी भी क्षेत्र में पारिश्रमिक रोजगार प्राप्त हुआ हो और STPs के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्थानीय नगर निकायों/राज्य शहरी आजीविका मिशन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थी जो लघु उद्यम स्थापना हेतु इच्छुक हों तो उन्हें सहायता उपलब्ध कराना और अगले १२ माह तक इन लघु उद्यमों की प्रगति पर निगरानी रखना कौशल प्रशिक्षण प्रदाओं की जिम्मेदारी होगी।

## ६:- प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) और रिपोर्टिंग-

**कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतुः-** प्रशिक्षण की प्रगति नियोजन और सूक्ष्म उद्यम की स्थापना संबंधी समस्त सूचना स्थानीय नगर निकायों/राज्य शहरी आजीविका मिशन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का होगा। सूचना उपलब्ध कराने के प्रारूप और आवधिकता का उल्लेख कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु निर्देश-अनुबंध की शर्तों (TOR) में किया जाना चहिए।

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) का विकास एवं अनुरक्षण भी करना होगा, जिसके तहत उसे अभ्यर्थियों से संबंधित समस्त सूचनाओं जैसे कि उनके सम्पर्क-विवरणों, बैंक खातों के ब्यौरे, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण की स्थिति, नियोजन अथवा सूक्ष्म उद्यम के स्थापन की स्थिति आदि को, वेबसाईट पर अद्यतन करना होगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभ्यर्थियों और प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त सूचनाओं तक राज्य शहरी आजीविका मिशन और स्थानीय नगर निकायों को पहुँच उपलब्ध करायेगा। जैसे ही और जब भी NULM हेतु राष्ट्रीय प्रबंधन सूचना प्रणली का आरम्भ होगा ये कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का दायित्व होगा कि वह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचनाओं की अद्यतन करे।

**राज्य शहरी आजीविका मिशन/ स्थानीय नगर निकायों हेतुः-** ये राज्य शहरी आजीविका मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वह नियमित रूप से कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं से, प्रमाणीकरण एजेंसियों से और स्थानीय नगर निकायों से सूचनाएं प्राप्त करे और उन्हें आगे मंत्रालय को उपलब्ध कराये। राज्य शहरी आजीविका मिशन मंत्रालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार मासिक आधार पर अथवा जब भी और जैसी मंत्रालय को अपेक्षित हो, आवश्यक आख्या/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जब भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) विकसित होगी राज्य शहरी आजीविका मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वह इसे नियमित रूप से ऑनलाइन अद्यतन करे।

राज्य शहरी आजीविका मिशन नियमित निरीक्षण एवं स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से प्रशिक्षण के उच्चगुणवत्तायुक्त मानकों की निगरानी तथा अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार होंगे। राज्य शहरी आजीविका मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी सस्थाओं के साथ अनुबंध कर सकेंगे। निगरानी रिपोर्ट और मूल्यांकन-अध्ययन रिपोर्ट का उपयोग जल्द से जल्द सुधारात्मक क्रिया हेतु किया जाना चाहिए और इसकी सूचना राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (NMMU) को दी जानी चाहिए।

## ७:- प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी-

**७.१- अभ्यर्थियों की अहर्यताः-** राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अर्न्तगत प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन केवल शहरी गरीब परिवारों के बीच से किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाना चाहिए-

१- उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान (**SJSRY/NULM**) के तहत किसी भी शाखा का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त ना किया हो, तथापि अभ्यर्थी को पूर्व में प्राप्त किये गये किसी भी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण हेतु उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

२- अभ्यर्थी को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हयता को पूरा किया जाना चाहिए।

३- प्रशिक्षित किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या का प्रतिशत शहर की जनसंख्या में उनके प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

४- कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के तहत राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के कुल लाभार्थियों में से,३० प्रतिशत महिलाएं, १५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से और कम से कम ३ प्रतिशत अन्य प्रकार से सक्षम/विकलांग वर्ग से होने चाहिए। तथापि यदि शाखा और क्रियान्वयन क्षेत्र के आधार पर उपर्युक्त न्यूनतम प्रतिशत अपेक्षा सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा पूर्ण न हो सकती हो तो SULM उपर्युक्त विषमतामूलक समुदायों हेतु विशिष्ट लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकेंगे।

**७.२-जागरूकता सृजन तथा मांग निर्माणः-** लक्षित समुदायों में जागरूकता सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु मांग का निर्माण करने की लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई जायेगी-

१- राज्य शहरी आजीविका मिशन और स्थानीय नगर निकाय कौशल प्रशिक्षण अवसरों सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने और संभावित अभ्यर्थियों से आवेदन

प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, पोस्टरों, वॉल-पेटिंग, स्वयं सहायता समूह की सभाओं आदि के माध्यम से वृहद संचार अभियान संचालित करेंगे।

२- कोर्स सम्बन्धी सूचना, कालावधि, प्रशिक्षण स्थान, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का नाम एवं विवरण आदि समस्त स्थानीय नगर निकायों, नगर आजीविका केन्द्रों अथवा सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य शहरी केन्द्र पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

३- अभ्यर्थियों को एक सादे कागज पर सामान्य विवरणों, जैसे कि नाम, आयु, सम्पर्क-विवरण, आपेक्षित प्रशिक्षण का नाम, आधार कार्ड संख्या अथवा अन्य पहचान पत्र आदि सहित, प्रशिक्षण प्राप्त करने के आशय पत्र को जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। संभावित अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने का आशय पत्र निर्दिष्ट केन्द्र पर सीधे भौतिक रूप में अथवा मेल द्वारा या डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। आशय पत्र के जमा किये जाने पर उसकी रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी और आवेदक को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी की जायेगी। इस प्रकार शहरी गरीबों द्वारा आपेक्षित विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु संभावित अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार हो जायेगी। स्थानीय नगर निकाय वर्ष भर ऐसे आशय पत्रों को स्वीकार करेंगे। शहर में आपेक्षित प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने पर उक्त रजिस्टर का उपयोग अभ्यर्थियों के एकत्रण हेतु किया जाना चाहिए।आशायित आवेदन, नगर निगम कार्यालयों द्वारा, वार्ड आफिसों/कार्यालयों द्वारा, स्थानीय नगर निकायों द्वारा, स्वयं सहायता समूहों द्वारा, सामुदायिक संगठन कर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र स्तरीय संघो और नगर स्तरीय संघो द्वारा, NULM के कार्यालयों या प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा, और NULM से संबंधित किसी भी अन्य संस्थान द्वारा स्वीकार किये जा सकेंगे। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का आशय पत्र जमा करने के लिए लम्बी दूरी तय करने की आवश्यकता न पड़े।

४- राज्य शहरी आजीविका मिशन और स्थानीय नगर निकायों द्वारा प्रतिक्षा सूची में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को, प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरम्भ होने, प्रशिक्षण केन्द्र की अवस्थिति, पात्रता मानदण्डों, कोर्स अवधि आदि की सूचना उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों, जैसे कि SMS, जनसूचना, स्वयं सहायता समूह और उनके क्षेत्र स्तरीय संघों आदि के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

५– नगर निकायों द्वारा प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम कैलेन्डर का निर्धारण करते समय प्रतीक्षा सूची के अनुसार किसी विशेष शाखा की मांग को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

६– प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के अतिरिक्त प्रत्याशियों की पहचान स्थानीय नगर निकायों द्वारा अन्य माध्यमों से भी की जायेगी जैसे कि शिविरों का आयोजन, पंजीकरण–अभियान, स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रायोजन आदि। तथापि प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत अभ्यर्थीयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

७– यदि सम्भावित अभ्यर्थियों द्वारा किसी ऐसे कौशल प्रशिक्षण की मांग की जा रही हो जिसके लिए स्थानीय नगर निकायों के पास सक्षम प्रशिक्षण प्रदाता उपलब्ध न हों तो स्थानीय नगर निकाय राज्य शहरी आजीविका मिशन और स्थनीय उद्योग संघ के साथ परामर्श करके ऐसे कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की व्यवस्था करेंगे।

८– प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों हेतु एक सलाह–सत्र का आयोजन किया जायेगा। जिसमें भावी अभ्यर्थियों को उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अहर्यता–मानकों आदि के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया जायेगा।

९– इस चरण में लाभार्थियों से एक सूचना तथा आवेदन फार्म/प्रपत्र भरवाया जायेगा जिसमें अभ्यर्थियों से संबंधित समस्त सूचनाएं जैसे कि शैक्षिक योग्यता, बी.पी.एल.स्थिति, निवास स्थान का पता तथा अन्य विवरण आदि एकत्रित किये जायेंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर ही उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया जायेगा।

१०–स्थानीय नगर निकाय संभावित प्रत्याशियों को सूचना प्रदान किये जाने हेतु स्लम क्षेत्रों में मासिक नियोजन मेलों, रोजगार मेलों आदि का आयोजन भी कर सकेंगे।